भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 283

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के अंतर्गत राजस्थान के किसानों को शामिल किया जाना

283. श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान देश में विशेषकर राजस्थान के दौसा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए किसानों की संख्या का राज्यवार एंव जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान में किसानों के दावे वैध पाए जाने के बावजूद बीमा कम्पनियों द्वारा बड़ी संख्या में दावा राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राजस्थान में उक्त योजना के अंतर्गत कार्यशील बीमा कम्पनियों के नामों का कार्यावधिवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के अंतर्गत दौसा जिले सहित राजस्थान में वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान बीमित किसान आवेदनों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा तथा नामांकित किसान आवेदनों की संख्या का जिलावार ब्यौरा के विवरण क्रमशः **अनुबंध-I और II** में दिया गया है।

(ख) और (ग): योजना के प्रावधानों के अनुसार, योजना का कार्यान्वयन क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए गए प्रति इकाई क्षेत्र की उपज के आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजीक्लेम मॉड्यूल के माध्यम से बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार्य दावों की गणना की जाती है और

बीमित किसान के खाते में सीधे भुगतान किया जाता है। किसानों को दावे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने और प्राकृतिक आग के स्थानीय जोखिमों के कारण होने वाली नुकसान और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलोपरांत नुकसान की गणना व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है। इन दावों का आकलन राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है। इस मामले में, किसानों को नुकसान के 72 घंटे के भीतर राज्य सरकार, बीमा कंपनी, संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थानों, पोर्टल पर ऑनलाइन आदि को नुकसान की सूचना देनी होती है। दावों को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा इस नुकसान सूचनाओं की जांच की जाती है।

बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल उपज/फसल नुकसान का आकलन जैसे सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं। योजना के उचित निष्पादन के लिए योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में प्रत्येक हितधारक की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है ।

अधिकांश दावों का निपटान बीमा कंपनियों द्वारा योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। तथापि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान, बीमा कंपनियों के खिलाफ दावों का भुगतान न करने और/या देरी से भुगतान करने, बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/देरी से प्रस्तुत करने के कारण दावों का कम भुगतान करने, उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद, राज्य सरकार के हिस्से की धनराशि प्रदान करने में देरी, बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कर्मियों की तैनाती न करने आदि के बारे में कुछ शिकायतें पहले प्राप्त हुई थीं, जिन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से समाधान किया गया था।

चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित शिकायतों को हल करने के लिए, योजना के संशोधित प्रचालन दिशा-निर्देशों में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को प्रचालन दिशा-निर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, ताकि शिकायतों की सुनवाई की जा सके और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जा सके।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) विकसित की गई है। एक अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर 14447

शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें/मुद्दे उठा सकते हैं। इन शिकायतों/मुद्दों को हल करने की समयसीमा भी तय की गई है। आज तक केआरपीएच पर 95.03 लाख कॉल प्राप्त हुई हैं। इनमें से 29.35 लाख मुद्दों से संबंधित ई-टिकट सृजित किए गए और बीमा कंपनियों को कार्रवाई के लिए भेजे गए। शेष मुद्दे या तो सूचनात्मक थे या सलाह मांगने वाले थे। सृजित किए गए 29.35 लाख मुद्दों से संबंधित ई-टिकटों में से 29.12 लाख (99%) का समाधान किया जा चुका है। इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एकीकृत मंच पर हितधारकों की शिकायतों की निगरानी करने में मदद मिली है।

(घ): राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 और 2023-24 निविदा चक्रों के दौरान चयनित फसल बीमा कम्पनियों का विवरण नीचे दिया गया है:

निविदा चक्र 2020-21	**निविदा चक्र 2023-24**
भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड
बजाज-एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी	क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी
एचडीएफसी-एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी	
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी	
यूनिवर्सल- सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी	

अनुबंध- I

दिनांक 31.12.2024 तक पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान नामांकित किसान आवेदनों की संख्या का राज्यवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	99	339	535	173	187
आंध्र प्रदेश	27,88,373	-	-	1,25,63,699	1,29,01,749
असम	10,06,212	16,60,076	9,96,027	4,89,983	7,95,553
छत्तीसगढ	40,17,118	51,58,351	58,38,755	77,30,260	81,24,956
गोवा	886	84	64	403	234
गुजरात	24,80,726	-	-	-	-
हरियाणा	17,10,601	16,50,558	14,52,842	14,46,631	1,01,74,480
हिमाचल प्रदेश	2,84,009	2,40,727	2,33,725	2,67,643	2,78,051
जम्मू और कश्मीर	-	-	90,834	91,582	2,45,630
झारखंड	10,92,116	-	-	-	-
कर्नाटक	19,45,207	15,87,801	19,17,808	26,84,781	30,15,023
केरल	58,135	76,317	98,510	1,46,546	1,74,141
मध्य प्रदेश	83,97,265	84,52,044	92,64,216	1,77,32,045	1,77,95,819
महाराष्ट्र	1,45,66,294	1,24,06,368	99,02,582	1,07,33,909	2,41,85,161
मणिपुर	3,256	-	2,807	4,066	5,073
मेघालय	607	130	-	337	38,569
ओडिशा	48,79,301	97,52,474	81,73,856	80,20,763	1,40,97,157
पुदुचेरी	12,014	10,980	35,818	38,384	42,224
राजस्थान	86,16,616	1,07,59,591	3,44,70,735	3,90,96,690	3,89,87,544
सिक्किम	21	85	2,422	5,025	3,104
तमिलनाडु	38,93,787	58,87,474	59,11,015	61,43,139	54,55,753
तेलंगाना	10,34,223	-	-	-	-
त्रिपुरा	36,382	2,57,236	3,35,514	3,56,201	3,73,362
उत्तर प्रदेश	46,97,567	41,90,508	40,68,679	42,83,804	60,25,293
उत्तराखंड	2,12,675	1,70,812	1,82,762	2,82,068	2,26,809
अखिल भारत	**6,17,33,490**	**6,22,61,955**	**8,29,79,506**	**11,21,18,132**	**14,29,45,872**

- कार्यान्वित नहीं किया गया।

अनुबंध- II

दिनांक 31.12.2024 तक पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत राजस्थान में नामांकित किसान आवेदनों की संख्या का जिलावार और वर्षवार विवरण					
जिले का नाम	***2019-20***	***2020-21***	***2021-22***	***2022-23***	***2023-24***
अजमेर	2,53,652	3,16,507	10,53,524	12,77,122	13,08,417
अलवर	4,34,872	4,58,682	11,11,429	11,20,482	9,59,266
बांसवाड़ा	1,15,127	1,59,519	8,06,269	7,94,921	6,05,170
बरन	1,08,417	1,48,163	5,02,671	5,19,108	5,83,099
बाड़मेर	5,90,520	7,25,079	11,92,970	15,76,524	18,19,718
भरतपुर	1,95,178	2,29,746	22,25,053	27,93,343	29,58,648
भीलवाड़ा	3,05,623	4,52,382	13,40,538	14,64,282	13,08,741
बीकानेर	3,07,020	3,89,452	13,79,651	17,87,020	15,93,579
बूंदी	1,84,307	2,41,370	9,30,298	8,97,811	7,75,545
चितौड़गढ़	3,32,940	4,94,090	11,71,119	-	-
चितौड़गढ़	-	-	-	13,75,966	13,22,009
चुरू	4,90,936	6,40,298	16,25,521	18,37,850	20,26,907
दौसा	1,28,256	1,49,263	4,69,532	3,65,186	3,77,746
धौलपुर	24,431	20,177	1,38,394	-	-
धौलपुर	-	-	-	1,61,890	1,43,191
डूंगरपुर	50,369	87,035	6,97,411	6,41,225	6,54,989
हनुमानगढ़	4,12,533	5,21,417	41,41,559	51,26,104	55,22,510
जयपुर	5,85,234	6,39,833	20,22,031	24,85,268	25,89,566
जैसलमेर	1,65,150	1,84,093	2,55,126	2,96,747	2,81,958
जालोर	4,33,987	5,45,544	11,93,002	-	-
जालौर	-	-	-	13,36,582	13,37,294
झालावाड़	3,04,675	3,76,062	13,23,985	14,19,503	14,40,228
झुंझुनू	3,67,312	4,27,350	11,22,271	11,53,317	12,47,067
जोधपुर	5,03,279	5,88,582	7,25,176	9,17,674	7,97,480
करौली	58,189	79,413	2,14,406	2,29,654	2,23,561
कोटा	1,92,377	2,68,037	5,87,242	6,28,301	5,60,981
नागौर	3,79,999	5,21,026	7,17,432	8,00,830	7,80,478
पाली	1,64,937	2,46,246	4,61,041	5,54,545	4,79,216
प्रतापगढ़	96,228	1,63,955	4,55,614	4,70,100	4,83,507
राजसमंद	49,877	69,238	1,98,512	1,94,491	1,98,315
सवाई माधोपुर	1,76,348	2,22,789	6,82,261	6,67,864	6,34,431
सीकर	4,35,085	4,70,103	10,19,814	10,56,658	11,03,647
सिरोही	56,683	61,471	78,544	1,17,622	1,09,593
श्रीगंगानगर	3,56,510	4,00,585	30,43,011	33,16,436	31,21,809
टोंक	2,71,212	3,37,823	10,02,312	11,74,102	10,81,802
उदयपुर	85,353	1,24,261	5,83,016	5,38,162	5,57,076
राजस्थान कुल	**86,16,616**	**1,07,59,591**	**3,44,70,735**	**3,90,96,690**	**3,89,87,544**

*****